



115

33



रामशिलाध पटेल तनय स्व०अभुना प्रसाद पटेल निवासी ग्राम रामनगर तहसील बुरहट, जिला सीधी म०प्र०

.... जावेदग

बनाम

1. मुस०केमली बेवा पत्नी परमेश्वरदीन कुर्मी
2. बालमिक तनय परमेश्वरदीन कुर्मी
3. अरुण कुमार तनय परमेश्वरदीन कुर्मी
4. हीरालाल तनय परमेश्वर दीन कुर्मी
5. राजमान तनय परमेश्वरदीन कुर्मी
6. दिवाकर मिता परमेश्वरदीन कुर्मी
7. मुस०वेवा गुलाबवती पत्नी स्व०वंशबहादुर
8. सूर्यजीत तनय स्व०वंशबहादुर
9. हरी इन्द्रजीत तनय वंशबहादुर
10. रामलाल तनय नर्मदा प्रसाद कुर्मी

दिनांक 4-8-15 को
श्री जे. सी. सिद्ध कांमठ इ(1)
उत्तर /

50

Handwritten signatures and initials.

सभो निवासी ग्राम रामनगर, तहसील बुरहट, जिला सीधी म०प्र०

11. म०प्र०शासन

.... अनावेदकगण

रामनोशा मिश्र
29/5/12

निकरनी

प्रथम, ~~द्वितीय~~ आदेश विरुद्ध न्यायालय श्रीमान्
अपर कलेक्टर महोदय सीधी म०प्र० द्वारा
प्रकरण क्रमांक 344/निगरानी/2011-12 आदेश
दिनांक 11.05.2012 अन्तर्गत धारा -50
म०प्र० शासक संहिता 1959

मान्यवर,

सूक्ष्म तथ्य :---

वह कि उत्तरवादी गण द्वारा ग्राम कपुरी एवं गन्नौर तहसील बुरहट, जिला सीधी द्वारा अपीलार्थी के एकान्तिक स्वत्व आधिपत्य की ग्राम गन्नौर एवं कपुरी स्थित आराजी रकबा 8.26 हे० जिसमे उत्तरवादी गण का कोई हक, हित स्वत्व कब्जा दर्ज नहीं है, ना ही सह खाते

704
29-5-12

Handwritten mark or signature.

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक :- निगरानी-2481-दो/2015

जिला- सीधी

रामाभिलाष पटेल विरुद्ध मुस. केमली आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
<p>18/02/2019</p>	<p>आवेदक की ओर से श्री मुकेश भार्गव एवं अनावेदक की ओर से श्री विनोद भार्गव अभिभाषक उपस्थित । आवेदक द्वारा यह निगरानी अपर कलेक्टर सीधी के प्रकरण क्रमांक 344/निग./2011-2012 में पारित आदेश दिनांक 11-05-2012 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-9-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण आयुक्त रीवा संभाग, रीवा के न्यायालय को अंतरित किया जाता है।</p> <p>2/ पक्षकार दिनांक 15-4-2019 को आयुक्त रीवा के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों।</p>	<p>(आर.के. जैन) सदस्य 18/02/2019</p>